न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 269/2014
62/2016

नीता कुमारी बनाम राज्य एवं श्रीमती पम्पा कुमारी

– :: आदेश :: –

23.1.17

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी नीता कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद संख्या–53/2013–14 में दिनांक–31.10.2014 को पारित चयनमुक्ति संबंधी आदेश ज्ञापांक–1422–1 दिनांक 31.10.2014 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 260/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–53/2013–14 में पारित चयनमुक्ति आदेश ज्ञापांक–1422–1/आई.सी.डी.एस., दिनांक–31.10.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी नीता कुमारी द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि उक्त केन्द्र का वर्ग बाहुल्य पिछड़ा वर्ग का है तथा सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त पोषक क्षेत्र की निवासी है। इसलिए आम सभा में चयन समिति के सदस्य एवं आम लाभुक जनता के बीच इनके नाम चयन की घोषणा की गई तथा चयन पत्र दिया गया। परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा तथ्यहीन आरोप लगाकर दायर किया कि ये वार्ड संख्या–05 पोषक क्षेत्र की नही है। निम्न न्यायालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा से उक्त संबंध में स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गई। तदुपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा कार्यालय पत्रांक–419 दिनांक–21.07.2014 से स्थलीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें दर्शाया गया कि अपीलार्थी नीता कुमारी, वार्ड संख्या–05 की स्थायी निवासी होने के साथ पिछड़ा वर्ग की सर्वोतम मेधा अंक प्राप्त परित्यक्त महिला है, जिनका चयन आम सभा द्वारा सही रूप से किया गया, परन्तु फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा गलत रूप से इनका चयन रंदद कर दिया, जो न्यायिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण आदेश है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि इनके विरुद्ध ससुर द्वारा गलत रूप से वार्ड नं0–05 के मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि स्थल निरीक्षण के क्रम में इनका घर–मकान, आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी वार्ड संख्या–05 में पाया गया तथा मैंपिंग पंजी के क्रमांक–150 पर इनके ससुर का नाम अंकित है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उक्त संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबर्षा से स्थलीय जाँच करवाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा भी अपने पत्रांक – 2820–2, दिनांक–05.11.2014 में इनको पोषक क्षेत्र संख्या–05 की निवासी बताया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा चयनमुक्ति का ओदश पारित कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा वाद दायर किया गया है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि सोनबर्षा बाल विकास परियोजना अन्तर्गत्र वार्ड संख्या–05, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य केन्द्र है उसे पूर्व आँगनबाड़ी सेविका बबिता कुमारी द्वारा मैंपिंग पंजी तैयार करने के क्रम में वार्ड नं०–04 एवं वार्ड नं०–06 के लाभुकों का नाम मैंपिंग पंजी पर गलत रूप से दर्ज कर पिछड़ा वर्ग बाहुल्य पोषक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया। ऐसे लाभुक जो वार्ड नं–06 के है उनका नाम नाजायज रूप से वार्ड संख्या–05 में दर्ज कर मैंपिंग पंजी तैयार किया गया।

प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई व्यक्ति ऐसे है जिनका नाम वार्ड नं–4 में दर्ज है, परन्तु पूर्व सेविका द्वारा वार्ड नं0–5 के मैपिंग पंजी में नाजायज रूप से दर्ज किया गया है।

23.3.17

अपीलार्थी के ससुर जयहिन्द यादव, सास दुर्गा देवी मंजित कुमार का नाम वार्ड नं–04 के गृह संख्या–8 के क्रमांक 279, 280 एवं 281 पर दर्ज है तथा वह वार्ड नं0–5 के मतदाता नहीं है। अपीलार्थी के ससुर द्वारा नाजायज रूप से वार्ड नं0–5 के भोटरलिस्ट को स्कैन करवाकर क्रमांक–379 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि वार्ड नं0–05 की अभिप्रमाणित वोटरलिस्ट में क्रमांक–4 पर है तथा क्रमांक–379 पर मदन यादव पिता अनुपलाल यादव का नाम दर्ज है।

प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी के ससुर जयहिन्द यादव का नाम वार्ड नं०–4 एवं 6 दोनों में दर्ज है तथा नाजायज रूप से भोटरलिस्ट को कम्प्यूटर से स्कैन करवाकर वार्ड नं०–05 में भी अपना नाम गलत रूप से अंकित करा लिये। अपीलार्थी की सास दुर्गा देवी सरकारी सेवा में है। अपीलार्थी द्वारा अपने परित्यक्तता होने का प्रमाण पत्र भी नाजायज रूप से बनवायी है। अपीलार्थी के परिवार में सास, ससुर, एवं पति है तथा अपीलार्थी दिनांक 21.01.2017 तक अपने पति के साथ विवाहित स्थिति में रह रही थी। वार्ड संख्या–05 की जनसंख्या–1104 है, जिसमें एक भी परिवार यादव का नहीं है, जबकि पूर्व सेविका द्वारा तैयार मैंपिंग पंजी में यादवों की जनसंख्या तथा अपीलार्थी के परिवारों की संख्या अधिक कर उसे पिछड़ा वर्ग बाहुल्य बनाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सहरसा द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर से जाँच करवायी गयी। जाँच के क्रम में पाया गया कि अपीलार्थी का चयन आँगनबाड़ी सेविका के पद पर गलत किया गया है तथा अपीलार्थी के ससुर द्वारा गलत तरीके से अपना नाम वार्ड नं०–05 एवं 06 में दर्ज करवाया था, जबकि वार्ड संख्या–04 के स्थायी निवासी है। प्रतिपक्षी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सहरसा द्वारा पारित आदेश को जायज व दुरूस्त बताते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपीलवाद को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि चयन के समय प्रस्तुत परित्यक्ता प्रमाण–पत्र प्रपत्र–ख में वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर से समर्पित किया गया है। जबकि विभागीय मार्गदर्शिका, 2011 के अनुसार परित्यक्ता प्रमाण पत्र मुखिया के हस्ताक्षर से निर्गत होना चाहिए। इसीप्रकार मार्गदर्शिका के अनुसार जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदारों का चयन सविका के पद पर नहीं किया जाऐगा। अपीलार्थी की सास नियोजित शिक्षिका भी है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.3.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.3.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1501–2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-17

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा